लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
060/2023 (GCMS 2023/207)	04.08.2023	23.08.2023

अनवान

ASIF IQBAL R/o E-163 St. No. 3 West Vinod Nagar (Parwati Niwas) Delhi - 110092 Mob No. 7669078683

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 15.06.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./060/2023(सू.अ.) (23.08.2023)/519 दिनांक 04.082023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 23.08.2023 को अपील अपीलार्थी की और से अपीलार्थी प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह हाजिर आये वांछित सूचना का अस्पष्ट विवरण अप्राप्त होना जाहिर किया एवं बताया गया कि लोक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना अधिकारी प्रेषित सूचना में अपीलार्थी द्वारा सूचना का संख्यात्मक विवरण चाहा गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा संख्यात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना के संबंध में संख्यात्मक विवरण उपलब्ध कराये जाने का आदेश दिलवाया जावें। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/257 दिनांक 21.08.2023 से टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री आसिफ इकबाल, निवासी ई–163 स्टेशन नंबर 3 वेस्ट विनोद नगर पार्वती निवासी दिल्ली 110092 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 18.06.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सरिश्ता अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/सरिश्ता/ एफ/01–(03)/2007/345 दिनांक 06.07.2023 से प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/98 दिनांक 18.07.2023 से प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करावा दिए जाने के उपरांत इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज योग्य है।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सरिश्ता अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पास उपलब्ध है जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 में प्रावधित निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित हैं, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना अस्पष्ट हैं, अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में लोक सूचना अधिकारी से संख्यात्मक विवरण चाहा गया हैं, किन्तु लोक सूचना अधिकारी प्रेषित सूचना में संख्यात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। हमने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी सरिश्ता अनुभाग से प्राप्त सूचना का अवलोकन किया जो कि पत्रावली पर उलब्ध है। अपीलार्थी/आवेदन द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2023 से संख्यात्मक विवरण ही चाहा गया हैं, जबकि प्रभारी अधिकारी सरिश्ता द्वारा संख्यात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 द्वारा प्रावधित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 15.06.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 18.06.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2023 से वांछित का संख्यात्मक विवरण सूचना प्रभारी अधिकारी सरिश्ता अनुभाग 10 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official